रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122020-223942
CG-DL-E-26122020-223942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942
No. 659] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.792 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मानसिक रोग अस्पताल, रांची (वर्ग III और वर्ग IV पदों पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध **डाइटीशियन** के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में **डाइटीशियन** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, **डाइटीशियन** (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डाइटीशियन	1 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष से अधिक आयु नहीं । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** :आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख,अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण विज्ञान या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या क्लीनिकल न्यूट्रीशन एवं डायटेटिक्स या खाद्य विज्ञान एवं पोषण या खाद्य एवं न्यूट्रीशन डायटेटिक्स या आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री, या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण विज्ञान या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या क्लीनिकल न्यूट्रीशन एवं डायटेटिक्स या खाद्य विज्ञान एवं पोषण या खाद्य एवं न्यूट्रीशन डायटेटिक्स या आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में विज्ञान स्नातक की डिग्री । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डायटेटिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा । (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में डायटेटिक्स में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थानों में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण:** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति(पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** 1. निदेशक, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान,रांची - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप महानिदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. प्रोफेसर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान,रांची - सदस्य; 4. असोसिएट प्रोफेसर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मनः चिकित्सा संस्थान,रांची - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए. 12018/49/2017–एम ई]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2020

G.S.R. 792(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Hospital for Mental Diseases Ranchi (Recruitment to class III and Class IV posts) Rules, 1959 in so far as it relates to the post of **Dietition** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Dietician** in the Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, **Dietician** (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dietician.	1* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years of age. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed

					for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (A) Master degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised University or institute, or (B) (i) B. Sc. in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and Food Service Management from a recognised University or institute. (ii) Post graduate diploma in Dietetics from a recognised University or institute. (iii) One year practical experience in Dietetics in a 100 bedded hospital of Central Government or State Governments or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research institute. **Desirable:** One year practical experience from any recognised hospital or institutions.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** 1 Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi. – Chairman; 2. Director or Deputy Director (Medical Education), Directorate General of Health Services – Member; 3. Professor or Chief Medical Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi –Member; 4. Associate Professor or Chief Medical Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/49/2017-ME]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.26 14:51:27 +05'30'